न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/132/2019	2019/00263	10.10.2019	03.06.2022

01. उमेश सिह पुत्र जयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी दौसोद तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
02. नवल किशोर उर्फ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी दौसोद तहसील नीमराना जिला अलवर राज0

–अपीलांट्स

बनाम

01. सरकार जरिये नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 11.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2017

उपस्थितः–

01–श्री अमरसिंह यादव **–वकील अपीलाण्ट**

–:निर्णयः–

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11.09.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम दौसोद की किस्म बारानी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.19 एवं 1418/1982 रकबा 0.10 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम दौसोद की किस्म बारानी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1524 रकबा 0.19 एवं 1418/1982 रकबा 0.10 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 25.07.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 3 माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 11.09.2017 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 30.10.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट द्वारा भी दिनांक 30.10.2017 को विवादित आराजी पर बुजुर्गाना जमाने से कब्जा होना बताया है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर